न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

फौजदारी वाद संख्या 3347/2024

रविशंकर जोशी बनाम आशीष बेलवाल

CNR NO-UKNA06-003940-2024

धारा : 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
थाना : कोतवाली हल्द्वानी
जिला : नैनीताल

दिनांक : 16.10.2024

पत्रावली पेश। पुकार पर परिवादी पक्ष उपस्थित। मामले में आज की तिथि सुनवाई हेतु नियत है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लिखित परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में दंडनीय अपराध हेतु संस्थित किया गया है।

3. परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 145 के प्रभाव से शपथ पत्र तथा चैक, नोटिस आदि प्रस्तुत किया है। परिवादी ने इस प्रक्रम (stage) पर कोई अन्य साक्ष्य न देने का कथन किया है।

4. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता **श्री भूपेश मर्तोलिया आदि** को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 में उपबन्धित किया गया है कि **परन्तु इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।**

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 में वर्णित उपबंधो के प्रभाव से विपक्षी को सुनवाई का अवसर देना आज्ञापक है।

7. विपक्षी को नोटिस इलेक्ट्रानिक व अन्य माध्यम से नियमानुसार जारी हो। परिवादी आवश्यक पैरवी दाखिल करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/सुनवाई दिनांक **02.12.2024** को पेश हो।

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।